न्यायालय जिला कलक्टर कलक्ट्रेट कैम्प
उनियारा जिला टोंक द्वारा आदेश 17/15/2017
14/10/2019

पेश हो।

27/10/20

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट या अपीलान्ट वकील कोई उपस्थित नहीं। कई बार आवाज लगाई गई। अपीलान्ट उपस्थित नहीं। अतः अपील अपीलान्ट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होने व बाद प्रतिवादीगण दफ्तर हो। आदेशित की प्रतिलिपि रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाया जावें।

जिला कलक्टर
उनियारा (टोंक)